<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

<u>जमानत रद्द करने का आवेदन संख्या 2020 का 4</u>

सुनील यादव ...आवेदक

बनाम

उत्तराखंड राज्य और एक अन्य ...प्रतिवादी

उपस्थित:-

श्री दीप प्रकाश भट्ट, आवेदक के अधिवक्ता।

श्री ललित मिगलानी, राज्य के ए. जी. ए.।

श्री विपुल शर्मा, प्रतिवादी नं.2 के लिए अधिवक्ता।

<u>माननीय रविन्द्र मैठाणी, जे. (मौखिक)</u>

प्रतिवादी संख्या 2 विक्रम समरा ("अभियुक्त" को भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 147,148,452,307,506,34, पुलिस स्टेशन सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर की प्राथमिकी संख्या 203 सन 2019 के प्रथम जमानत आवेदन संख्या 2010 में 06.11.2014 को जमानत दी गई थी। अब, पीड़ित आवेदक ने जमानत रद्द करने का आवेदन दायर किया है।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. वर्तमान मामले में, शुरू में आवेदक की पत्नी द्वारा 14.06.2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके अनुसार 13 जून, 2019 को 3 बजे दोपहर में, लगभग 7-8 लोगों ने आवेदक के गोदाम में प्रवेश किया और उस पर धारदार हथियार, तलवार आदि से हमला किया। आवेदक को कई चोटें आई हैं। आवेदक की पत्नी ने हस्तक्षेप किया। इस बीच हमलावर भागने में सफल हो गए। यह 2019 की प्राथमिकी संख्या 203 है, जिसमें आरोपी को जमानत दी गई थी।

4. जमानत रद्द करने की मांग कई आधारों पर की गई है। यह आवेदक का मामला है कि आवेदक की पत्नी द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और सत्र परीक्षण संख्या 217 सन 2019, राज्य बनाम विक्रम समरा और अन्य का मुकदमा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, खटीमा उधम सिंह नगर (मामला) की विचारण में आगे बढ़ा। मामले में, 02.03.2020 को, आवेदक साक्ष्य के लिए अदालत में पेश हुआ, लेकिन उसे आरोपी द्वारा धमकी दी गई और यदि आवेदक अदालत के समक्ष सच्चाई का खुलासा करता है और यदि वह समझौते के लिए सहमत नहीं होता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आवेदक ने मामले में अदालत के समक्ष उस तिथि को एक आवेदन दायर किया। उसे सुरक्षा प्रदान की गई।

जमानत को रद्द करने का यह भी आधार है कि उसी तिथि को आरोपी द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी पर पुलिस द्वारा आवेदक की कार ले ली गई थी। बाद में संबंधित अदालत के हस्तक्षेप से कार को अदालत में लाया गया। इसके कई अन्य आधार भी हैं। 02.03.2020 की घटना और अन्य घटनाओं के आधार पर आवेदक का मामला यह भी है कि , आवेदक द्वारा आरोपी और अन्य के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई थी, जो 2020 की आपराधिक मामला संख्या 2745, सुनील यादव बनाम विक्रम समरा और अन्य (शिकायत मामला) के आधार पर है, जिसमें 26.10.2021 को आरोपी और अन्य के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 195-ए और 506 से संज्ञान लिया गया है।

5. आवेदक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पर अभियुक्त और अन्य लोगों द्वारा क्रूरता से हमला किया गया था। 02.03.2020 को, आवेदक अपनी परीक्षा के लिए अदालत जा रहा था, तभी आरोपी और अन्य लोगों ने उसे अदालत परिसर में धमकी दी। आवेदक ने अदालत से संरक्षण की मांग की और उसे संरक्षण प्रदान किया गया। आवेदक के विद्वान वकील ने अपनी प्रस्तुतियों में निम्नलिखित बिंदुओं को भी उठाया हैः

(क) 02 मार्च 2020 को, आरोपी और अन्य ने कुछ अपराधों में आवेदक की कार की भागीदारी के बारे में पुलिस को गलत जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी की कार को अपने कब्जे में ले लिया। आवेदक को उसके ड्राइवर ने इस बारे में बताया, जबकि आवेदक अभी भी अदालत परिसर में था। आवेदक ने अदालत से अनुरोध किया और अदालत के हस्तक्षेप से कार को अदालत परिसर में लाया गया।

(ख) 09.09.2019 को भी आवेदक को धमकी दी गई थी। जांच के दौरान भी, जब वह अस्पताल में था, तो सह-आरोपी ने उसे धमकी दी थी, जिसके कारण उसका वार्ड अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

(ग) आवेदक के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि न्यायालय को व्यक्ति के हित के साथ-साथ सामाजिक हित के बीच संतुलन बनाना होगा। यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने न्याय के मार्ग में धमकी दी है और हस्तक्षेप किया है। इसलिए उनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए।

(घ) विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है। उसे अदालत में पेश किया गया है। उनकी पत्नी पीडब्ल्यू2 श्रीमती सांता की मुख्य परीक्षा दर्ज की गई थी। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के से कुछ अन्य अभियुक्तों को समन किया गया

है, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश खंड अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के परिवार के सदस्य, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है, लगातार खतरे और डर में हैं। इसलिए जमानत रद्द की जानी चाहिए।

6. दूसरी ओर, अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक बार मंजूर की गई जमानत को मात्र अभिकथन पर रद्द नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि जमानत के रद्दकरण के लिए, जमानत मंजूर किए जाने के पश्चात् अभियुक्त का आचरण मात्र सुसंगत हो सकता है। यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने किसी भी अस्पताल में आवेदक को कोई धमकी नहीं दी थी। वह हिरासत में था। उसे 06.11.2019 को जमानत दे दी गई थी। यह भी तर्क दिया गया है कि 09.09.2019 को आरोपी हिरासत में था। वह उस तिथि को आवेदक को कोई धमकी नहीं दे सकता था। विद्वान वकील ने अपनी प्रस्तुति में निम्नलिखित बिंदुओं को उठाया:

(i) 02.03.2020 को, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, अभियुक्तों की ओर से स्थगन की मांग की गई क्योंकि उनके वकील प्रतिपरीक्षा के लिए नहीं पहुंचे थे।

(ii) अभियुक्त ने विचारण में विलंब नहीं किया। वास्तव में, यह आवेदक और अन्य गवाह हैं, जो अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने 03.02.2020 और 10.02.2020 को अपने आदेश पत्र में कहा था कि सम्मन जारी होने के बावजूद आवेदक और उसकी पत्नी अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। इसलिए उनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया।

(iii) 02.03.2020 को आरोपी ने पुलिस को सूचित नहीं किया। उसे पुलिस को क्यों सूचित करना चाहिए? यह कॉल एक फर्जी कॉल हो सकती थी क्योंकि कथित कॉल के अनुसार, वाहन में 20 लोग थे, जो आरोपी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार संभव नहीं है।

(iv) आवेदक द्वारा 02.03.2020 की घटना के संबंध में एक शिकायत 15.11.2020 को दर्ज की गई थी, जिस पर संज्ञान बहुत बाद में 30.11.2021 को लिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि यदि किसी खतरे की धारणा या प्रमुख खतरे की धारणा थी, तो आवेदक तत्काल शिकायत दर्ज कर सकता था या पुलिस को रिपोर्ट कर सकता था और उसके बाद अदालत को पहले के किसी अवसर पर संज्ञान लेने के लिए राजी कर सकता था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह दर्शाता है कि,

वास्तव में, आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों को धमकी या डर का कोई एहसास नहीं था, लेकिन मात्र किसी अन्य मामले में आरोपी को फंसाने के लिए, आवेदक द्वारा एक साजिश रची गई थी।

(v) आवेदक को दी गई सुरक्षा खतरे की धारणा के किसी भी विश्लेषण पर आधारित नहीं है, जैसा कि महेंद्र चावला और अन्य बनाम भारत संघ, (2019) 14 एससीसी 615 के मामले में तैयार की गई साक्षी सुरक्षा योजना के से किया जाना आवश्यक है।

7. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि जमानत व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, जो सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्त को प्रदान पश्चात जाती है। अतः जमानत के रद्दकरण के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को बहुत धीमा और सतर्क रहना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने कानून के सिद्धांतों पर भरोसा किया है, जैसा कि दोलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (1995) 1 एससीसी 349 और महबूब दाऊद शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2004) 2 एससीसी 362 के मामले में निर्धारित किया गया है।

8. दोलत राम (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जमानत की नामंजूर करने और जमानत के रद्दकरण के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि **"पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ही ठोस और अत्यधिक परिस्थितियां आवश्यक हैं।" सामान्य रूप से, जमानत के रद्दकरण के आधार, मोटे तौर पर (निदर्शी और संपूर्ण नहीं) निम्नलिखित हैं- न्याय के प्रशासन के सम्यक अनुक्रम में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास या किसी भी तरह से अभियुक्त को दी गई रियायत के दुरुपयोग या न्याय के सम्यक अनुक्रम से बचने का प्रयास। अभियुक्त के फरार होने की संभावना के अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आधार पर न्यायालय की संतुष्टि, जमानत के रद्दकरण को न्यायोचित ठहराने का एक और कारण है। यद्यपि एक बार मंजूर की गई जमानत को इस बात पर विचार किए बिना यांत्रिक रीति से रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि क्या किसी पर्यवेक्षण करने वाली परिस्थितियों ने अभियुक्त को विचारण के दौरान जमानत की रियायत का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देने के लिए निष्पक्ष विचारण के अनुकूल नहीं बना दिया है।"**

9. महबूब (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में अपीलकर्ता की ओर से दिए गए तर्क को स्वीकार कर लिया कि केवल अभिकथित धमकी के अभिकथन का उपयोग जमानत के रद्दकरण के आधार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। निर्णय के पैरा 11 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः

"11. अपीलकर्ता के विद्वान वकील सिद्धांतों पर सही हैं कि केवल गवाहों को कथित धमकी के अभिकथन का उपयोग जमानत के रद्दकरण के लिए एक आधार के रूप में नियमित रूप से नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा, मंजूर की गई जमानत को निरस्त करने के लिए ऐसे अभिकथन करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। जिस न्यायालय के समक्ष ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, उसे प्रत्येक मामले में सावधानीपूर्वक आरोपों की स्वीकार्यता पर विचार करना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार आदेश पारित करना चाहिए। ऐसे मामलों को तेजी से निपटाया जाना चाहिए ताकि न्यायाधीश की सामान्य और सामान्य प्रक्रिया में वास्तविक हस्तक्षेप को शुरू में ही कुचल दिया जाए और एक असुधार्य अवस्था में नहीं पहुंचा जा सके।

10. जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जमानत व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन स्थापित करती है। एक तरफ व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता है, तो दूसरी तरफ सामाजिक हित भी सुरक्षित होते हैं। जहां तक फौजदारी मामलों का संबंध है, गवाहों के मन में खतरा असामान्य आशंका नहीं है।

11. महेन्द्र चावला (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन पहलुओं पर विचार-विमर्श किया है और यह मत व्यक्त किया है कि **इसके बावजूद, भारतीय विधि प्रणाली में गवाहों की स्थितियों को दयनीय कहा जा सकता है। विचारण के विभिन्न चरणों में और फिर मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों को कई धमकियां दी जाती हैं। अपने आप को और अपने रिश्तेदारों को जान से मारने की धमकी के अलावा उसे नियमित रूप से अदालत में उपस्थित होने के सदमे का भी सामना करना पड़ सकता है।**

12. मुख्य परीक्षा के पश्चात स्थगन मांगने की प्रवृत्ति को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है। विनोद कुमार बनाम मामले में पंजाब राज्य (2015) 3 एस. सी. सी. 220 मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि **"मुकदमे की सुनवाई करने के सभी सिद्धांतों के विपरीत, यद्यपि साक्षी विचारण में उपस्थित है, तथापि काउंसेल द्वारा मामले को स्थगित करने की मांग की जाती है। इसके अलावा, किसी गवाह की मुख्य परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रतिपरीक्षा के लिए स्थगन की मांग की जाती है और अनिश्चित विशेषता यह है कि निचली विचारण को समय दिया जाता है। कानून में समय देने के लिए विशेष कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता है, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है।**

13. विनोद कुमार (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 57.3 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः

"57.3. इस प्रतिपादना के बारे में कोई गुत्थी नहीं है कि एक निष्पक्ष और उचित परीक्षण होना चाहिए, लेकिन मुकदमा चलाते समय विचारण का कर्तव्य कानून के आदेश, वैचारिक निष्पक्षता और इन सर्वोपरि अभिलेख पर लाई गई सामग्री के आधार पर सत्य पर पहुंचने के अपने पवित्र कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए निर्देशित होना है। अगर कोई आरोपी अपने फायदे के लिए विचारण को पूरी तरह से मजाक के रास्ते पर ले जाता है, तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। न्यायालय का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह देखे कि मुकदमा कानून के अनुसार चलाया जा रहा है। यदि स्थगन इस तरह से मंजूर किया जाता है तो यह कानून के शासन का उल्लंघन होगा और अंततः इस तरह के मुकदमों को मजाक में बदल देगा। यह कानूनी रूप से अस्वीकार्य और न्यायसंगत रूप से घृणित है। कानून में निचली विचारणों से अपेक्षा की जाती है कि वे मुकदमे से संबंधित प्रक्रिया के आदेश का पालन करें और गैर-स्वीकार्य कारणों से स्थगन मंजूर करने के वकील के अनुरोध पर ध्यान न दें।"

14. यह भी सच है कि कथित धमकी के मात्र दावे जमानत रद्द करने का आधार नहीं हो सकते हैं। अदालत को इस तरह के दावों की स्वीकार्यता पर विचार करना होगा, जैसा कि महेंद्र चावला (ऊपर) के मामले में किया गया था।

15. कुछ तथ्य निर्विवाद हैं।

(i) आवेदक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर जांच की गई और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, जो मामले का आधार है। घटना के अनुसार 13.06.2019 को 7-8 लोगों ने आवेदक पर निर्दयतापूर्वक हमला किया। आवेदक की चिकित्सीय जांच से पुष्टि हुई है कि उसे कई चोटें आई हैं। उसकी खोपड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर था। घटना के चश्मदीद गवाह हैं।

(ii) आवेदक को इस मामले में 06.11.2019 को जमानत दे दी गई थी।

(iii) 02.03.2020 को आवेदक जांच के लिए अदालत में उपस्थित था। जब प्रतिपरीक्षा के लिए स्थगन की मांग की गई तो उनकी मुख्य परीक्षा समाप्त हो गई।

(iv) 02.03.2020 को, आवेदक ने इस मामले में एक आवेदन दिया कि उसे धमकी दी जा रही है और अदालत के बाहर विवाद को निपटाने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है।

(v) 02.03.2020 को, अदालत ने इन सभी कारकों पर ध्यान दिया और पुलिस को आवेदक को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

(vi) 02.03.2020 को, अदालत ने 5,000/- रुपये के खर्च पर आरोपी द्वारा दायर स्थगन आवेदन को स्वीकार कर लिया।न्यायालय ने महसूस किया था कि ऐसा लगता है कि आरोपी मुकदमे को टालने की कोशिश कर रहे हैं।

(vii) आवेदक द्वारा पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जो 2020 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 901 (याचिका) थी। याचिका में, शुरुआत में, 04.08.2020 को, अदालत ने संबंधित पुलिस अधीक्षक को आवेदक और उसकी पत्नी को सुरक्षा प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। अंततः, याचिका पर 22 फरवरी, 2022 को अंतिम निर्णय लिया गया और पैरा 6 में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"6. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हम प्रतिवादी नं. 1 और 2 को राज्य की साक्षी सुरक्षा योजना के तहत याची और उसके परिवार के सदस्यों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने वाली रिट याचिकाकर्ता अनुमति देते हैं **और ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक याची और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन, स्वतंत्रता और सम्पति को खतरा है।"**(जोर दिया गया)

आवेदक की ओर से एक बयान दिया जाता है कि वह अभी भी पुलिस सुरक्षा में है।क्या इसका मतलब यह नहीं है कि

खतरे की धारणा अभी भी बरकरार है?

(viii) आवेदक ने दिनांक 09.09.2019 और 02.03.2020 की घटना के संबंध में आरोपी और अन्य के विरुद्ध शिकायत दर्ज की, जो शिकायत मामले का आधार है। शिकायत के पैरा 18 में, आवेदक ने लिखा है कि उसकी अंततः जांच की गई है, लेकिन पांच और गवाह हैं और चूंकि आवेदक ने तथ्यों को विस्तार से बताया है, इसलिए अब आरोपी और अन्य बहुत परेशान हैं और वे उसे धमकी दे रहे हैं।

(ix) शिकायत के मामले में, आरोपी और अन्य के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 195ए और 506 से 26.10.2021 को संज्ञान लिया गया है।

(x) पी डब्लू १ के रूप में अपनी परीक्षा में, आवेदक ने अदालत को बताया कि घटना के पश्चात जब वह अस्पताल में था, तो उसे सह-अभियुक्त द्वारा धमकी दी गई थी। उन्होंने इसकी शिकायत की। अस्पताल में उनका कमरा बदल दिया गया। बहस के दौरान इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि अस्पताल में आवेदक का कमरा बदल दिया गया था लेकिन अभियोजन द्वारा बताए गए कारण अलग हैं। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, यह अस्पताल में आंतरिक व्यवस्था थी।

16. यह केवल दावे का मामला नहीं है। तथ्य यह है कि 02.03.2020 को, आवेदक स्वयं उस अदालत में एक आवेदन देता है जहां मामला लंबित था कि उसे आवेदक द्वारा और एक अन्य द्वारा धमकी दी जा रही है।आवेदक के अनुसार, यह अदालत परिसर में किया गया था। आवेदक ने यह दिखाने के लिए अभिलेख प्रस्तुत किए हैं कि, वास्तव में, उस तिथि को, उसका वाहन पुलिस द्वारा ले जाया गया था, जिसे अदालत के हस्तक्षेप के कारण वापस लाया गया था। यह आवेदक का मामला है कि वास्तव में, उसे धमकी दी गई थी कि उसका वाहन किसी अपराध में शामिल होगा।

17. आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि 02.03.2020 के तुरंत पश्चात जमानत रद्द करने का आवेदन 18.03.2020 को पेश किया गया था।

18. इन सभी कारकों पर एक साथ विचार करने के बाद, मामले की परिस्थितियों से, इस न्यायालय का विचार है कि निश्चित रूप से अभियुक्त जमानत की मंजूरी देकर उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है। वह न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे

हैं। जाहिर है, वह धमकियां दे रहा है। इसलिए, यह अभियुक्त को दी गई जमानत को रद्द करने का आधार बनाता है। तदनुसार, जमानत रद्द करने संबंधी आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए।

19. जमानत रद्द करने की अर्जी मंजूर की जाती है।

20. प्रतिवादी नं. 2 विक्रम समरा को मामले में दी गई जमानत को तत्काल रद्द कर दिया जाता है।

21. प्रतिवादी नं.2 को तुरंत हिरासत में लिया जाए। प्रतिवादी नं. 2 के जमानतनामों को रद्द कर दिया जाता है और प्रतिभूतियों को उनकी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है।

22. इस आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय को भेजी जाए।

(रविन्द्र मैठाणी, जे.)

11.11.2022

जितेंद्र